उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– – /VIII-1/26–32(श्रम)/2016-TC

देहरादून, दिनांकः 17 फरवरी, 2026

अधिसूचना

राज्य में उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापन अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2018) लागू है, के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम में दुकानों/स्थापनों के खुलने एवं बंद किये जाने के समय के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात दुकान/स्थापन स्वामी कार्य एवं व्यापार की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि चाहें तो दुकान/स्थापनों को 24×7 खुला रख सकते हैं। परन्तु दुकानों/स्थापनों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य के घण्टे एवं अवकाश उक्त अधिनियम के प्राविधानानुसार ही रहेंगे।

(डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी)
सचिव।

संख्या–195 (1)/VIII-1/26–32(श्रम)/2016-TC, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. श्रम आयुक्त/मुख्य निरीक्षक, कारखाना उत्तराखण्ड।
5. अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. उप/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ज्योति बाला)
अनु सचिव।

प्र0अ0-1

प्र०अ०/सहायक/उप/अपर/श्रम आयुक्त
डायरी सं० 118
दिनांक 18/2/26 हस्ताक्षर

UO Labour P.B

359625 32 श्रम 2016
संख्या– /VIII-1/26-~~33 (श्रम)/2025~~ E-38259

प्रेषक,

ज्योति बाला,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

श्रम अनुभाग देहरादून, दिनाँक: 08 जनवरी, 2026

विषयः– उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–424/XXXVI(3)/2025/58(1)/2025 दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के माध्यम से निर्गत उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीया,

Digitally signed by
Jyoti Bala
Date: 08-01-2026
10:34:28

(ज्योति बाला)
अनु सचिव।

प्रवर्तन
20
8/1/26

क्रम संख्या–119 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025 ई0

अग्रहायण 24, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या– 424 / XXXVI (3) / 2025 / 58(1) / 2025

देहरादून, 15 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने 'उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025' प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 04 वर्ष–2025 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या– 04, वर्ष 2025)

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या--03, वर्ष 2018) का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है तथा राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव अब, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा--शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

धारा 1 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या--03, वर्ष 2018) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में "दस" शब्द के स्थान पर "बीस" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 8 में-

(1) उपधारा (1) में शब्द "नौ घण्टे" एवं "पांच घण्टे" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दस घण्टे" और "छः घण्टे" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे।

(2) उपधारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्---

"किसी भी दुकान या स्थापन में किसी पाली में कार्य के घण्टों की कुल संख्या, जिसके अन्तर्गत विश्राम अंतराल भी है, बारह घण्टों से अधिक नहीं होगी।"

(3) उपधारा (3) में "नौ घण्टों" एवं "एक सौ पच्चीस" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दस घण्टे" और "एक सौ चवालीस घण्टे" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 9 मे "नौ घण्टे" शब्द के स्थान पर "दस घण्टे" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

5\. मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

"किसी दुकान या प्रतिष्ठान के प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रारूप और रीति (इलेक्ट्रानिक फॉर्म सहित) में वार्षिक विवरण रखेगा, जैसा विहित किया जाए।"

ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम,
एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

No. 424/XXXVI(3)/2025/58(1)/2025
Dated Dehradun, December 15, 2025

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Shops And Establishments Uniform (Regulation Of Employment And Conditions Of Service) (Amendment) Ordinance, 2025' (Uttarakhand Ordinance No. 04 of 2025).

As promulgated by the Governor on 15 December, 2025.

THE UTTARAKHAND SHOPS AND ESTABLISHMENTS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

[Uttarakhand Ordinance No. 04 of 2025]

Promulgated by the Governor in the Seventy sixth year of the Republic of India

An

Ordinance

Further to amend the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment

WHEREAS, State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 213 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, 2025.

(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 1

2. In sub-section (2) of the section (1) of The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (Uttarakhand Act No 03 of 2018), (hereinafter referred to as the principal Act), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted.

Amendment of Section 8

3. (a) In section 8 of the principal Act-

(i) In sub-section (1) for the word "nine hours" and "five hours", the words "ten hours" and "six hours" shall respectively be substituted.

(ii) For sub-section(2) of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"The total number of hours of work in a shift including the rest interval shall not exceed twelve hours."

(iii) In sub-section (3) for the words "nine hours" and "one hundred and twenty five" the words "ten hours" and "one hundred and forty four hours" shall respectively be substituted.

Amendment of Section 9

4. In section 9 of the principal Act, for the words "nine hours", the words "ten hours" shall be substituted.

Amendment of Section 19

5. For section 19 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"Every employer of shop and establishment shall furnish an annual return, in such a form and manner (including electronic form), as may be prescribed."

LT GEN GURMIT SINGH,
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd)
Governor, Uttarakhand.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,
Principal Secretary.

... 2025 — 4xx/500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या–350938/VIII-1/25–53(श्रम)/2025
देहरादूनः दिनांक 08 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत समस्त दुकानो/प्रतिष्ठानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रत्येक महिला कर्मकार से रात्रि पाली में कार्य के संबंध में उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी। यदि कोई महिला कर्मकार रात्रि पाली में कार्य करने से असहमति व्यक्त करती है तो, उसका नियोजक द्वारा किसी प्रकार से प्रपीडन नहीं किंया जायेगा।

(2) महिला कर्मकारों की नियुक्ति एवं रोजगार से संबंधित कार्यवाही प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के संरक्षण एवं कल्याणकारी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(3) नियोजक द्वारा महिला कर्मकारों से कार्य कराये जाने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी व थाना प्रभारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) महिला कर्मकारों हेतु उनके निवास स्थान तक पिक–अप एवं ड्राप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) एवं जी0पी0एस0 आधारित (G.P.S enabled) पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा वाहन एवं कार्यस्थल पर पुलिस हैल्पलाईन नम्बर, पुलिस थाना/पुलिस चौकी के नम्बर दृश्य स्थान पर चस्पा किये जायेंगे।

(5) नियोजक द्वारा परिवहन चालक एवं परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

(6) नियोजक द्वारा महिला कर्मकारों के लिये सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित की जायेंगी, ताकि उन्हें रोजगार से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा या हानि न हो।

(7) नियोजक द्वारा महिला कर्मकारों हेतु शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल आदि सुविधायें अधिनियम की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) के सभी लागू प्राविधानों का नियोजक द्वारा पूर्णतः अनुपालन कराया जायेगा।

प्र0स0/सहायक/उप/अपर/श्रम आयुक्त
डायरी सं. 691
दिनांक 9/12/25

(9) दुकान और स्थापन के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार तथा उन सभी कार्यस्थलों पर जहां महिला कर्मकार कार्यरत हैं, या होंगी सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित एवं सुचारू रूप से संचालित किये जायेंगे।

Digitally signed by
Sridhar Babu Addanki
Date: 08-12-2025
15:14:56

(डॉ0 श्रीधर बाबू अद्दांकी)
सचिव।

संख्याः–350938 (1)/VIII-1/25–53(श्रम)/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
9. ~~श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल [illegible] हेतु प्रेषित।~~
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vineet Kumar
Date: 08-12-2025
15:17:43

(विनीत कुमार)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the **Constitution of India**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no350938 VIII-1/25-53 (Labour)/2025, dated 08.12.2025for general information.

Government of Uttarakhand
Labour Department
No.:350936 VIII-1/25-53 (Labour)/2025
Dehradun, Dated: 08 December, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6, of the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017, the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, women employees working in all shops/establishments in the State of Uttarakhand to work during night shift 09:00 PM to 06:00 AM subject to the following conditions:

1. Consent will be obtained from every women employee for working in the night shift. If any women employee expresses disagreement with working in the night shift, she shall not be coerced in any manner by her employer for the same.
2. Proceeding regarding appointment and employment of Women employees shall be done in accordance with the protective and welfare provisions of the Maternity Benefit Act, 1961.
3. Information regarding the employment of women employee by the employer shall be provided to the concerned labour officer and the police station in charge.
4. Panic button (emergency alarm) and GPS enabled adequate transportation system shall be ensured to provide pick-up and drop-off facilities for women employee up to their place of residence. Police helpline numbers and the police station/police sub station numbers will be displayed prominently on vehicles and at workplaces.
5. Police verification of transport drivers and conductors will be mandatorily carried out by the employer.
6. The employer shall ensure safe, secure, and healthy working conditions shall be ensured for women employee so that they do not face any detriment/disadvantage related to their employment at the work place.
7. Facilities such as toilets, changing room, drinking water, etc., shall be provided for women employee in accordance with the relevant provisions of the Act.
8. The employer shall fully comply with all applicable provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

9. CCTV cameras shall be installed and operated properly at every entry and exit gate of the shops and establishment, as well as at all workplaces where women employee are employed or will be employed.

Digitally signed by
Sridhar Babu Addanki
Date: 08-12-2025
15:15:34

(Dr. Shridhar Babu Addanki)
Secretary.

No.: (1)/VIII-1/25-53(Labour)/2025, Dated: ....

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries, Government of Uttarakhand.
2. Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand, for kind information of Hon'ble Chief Minister.
3. Principal Private Secretary to Hon'ble Labour Minister, Government of Uttarakhand, for kind information of Hon'ble Minister.
4. Principal Private Secretary to Chief Secretary, Government of Uttarakhand, for kind information of Chief Secretary.
5. All District Magistrates, Uttarakhand.
6. All Senior Superintendents of Police / Superintendents of Police, Uttarakhand.
7. All Heads of Departments, Uttarakhand.
8. Registrar (Judicial), Industrial Tribunal and Labour Court, Haldwani, Uttarakhand.
9. Labour Commissioner, Uttarakhand, Haldwani, District Nainital.
10. All Additional/Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners of Uttarakhand.
11. Deputy Director, Government Press, Roorkee with the request to publish this notification in the official gazette and provide 100 copies to the Government.
12. Guard File.

By Order,

Digitally signed by
Vineet Kumar
Date: 08-12-2025
16:03:31

(Vineet Kumar)
Additional Secretary.